भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1277

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली

†1277. **श्री इटेला राजेंदरः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क). क्या सरकार ने देश में गिग कामगारों के लिए डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख). क्या सरकार ने ई- गवर्नेंस विभाग के सहयोग से देश में अपनी तरह का पहला प्लेटफार्म आधारित 'गिग वर्कर्स बोर्ड' तंत्र विकसित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों की तुलना में इसकी मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा एवं उससे संबंधित उपबंधों का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में किया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 को लागू हुई है।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने का उपबंध करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का प्रावधान करती है, इसके अतिरिक्त, यह संहिता के अंतर्गत गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी उपबंध करती हैं।

संहिता में समुचित सरकार द्वारा असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक टोल-फ्री केंद्र, अथवा हेल्पलाइन या सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए उपबंध करती है। ये सुविधाएं उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में सूचनाओं का प्रसार करेंगी; पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों को भरने, उनके प्रसंस्करण और अग्रेषण की प्रक्रिया को सुगम बनाएँगी; पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करेंगी तथा पंजीकृत असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत नामांकन में सुविधा प्रदान करेंगी।
